

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

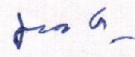
क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-269) अलेसे-1/1071

दिनांक:- 29/7/2020

कार्यालय आदेश

पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 838 दिनांक 03.03.2020 (क्रम संख्या 03) के द्वारा श्री अजीजुल हसन के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, लेकिन "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। अतः अधिकारी के पदस्थापन विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीजुल हसन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय कोषाधिकारी, जयपुर (शहर) के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

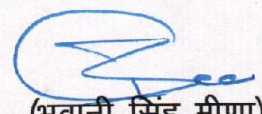

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (ए-269) अलेसे-1/1071

दिनांक:- 29/7/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
3. श्री अजीजुल हसन, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय-कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)